एस. जी. पंडित बनाम राज्य
ए.आई.आर. 1972 बम्बई 243

तथ्य

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के मेडिकल कालेजों में दाखिल के लिए बनाए गये नियमों पर प्रार्थी द्वारा आक्षेप किया गया था, जिसने पुणे के बी.जी. मेडिकल कालेज में दाखिला मांगा था और जिसे नियमों के अनुसार दाखिला नही दिया गया था।

नियम इस प्रकार थे:-

मेडिकल कालेजों में दाखिले केवल वर्ष में एक बार शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ में दिये जाते है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रखे जाने वाले स्थानों और बी.जी. मेडिकल कालेज, पुणे और मीरज मेडिकल कालेज, मीरज के स्थानों को छोड़कर प्रत्येक मेडिकल कालेज में सभी स्थान उन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनसे मेडिकल कालेज विशेष सम्बद्ध होता है।

नियम 4(घ) में जो व्यवस्था की गई है, वह इस प्रकार है:-

कोटी	आरक्षण की प्रतिशतता
1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियों से परिवर्तित नव बौद्ध	13 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजातियां, इनमें वे भी शामिल हैं, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से बाहर की हैं	7 प्रतिशत
3. अनधिसूचित जनजातियां तथा खानाबदोश जनजातियां	4 प्रतिशत
4.. अन्य पिछड़े वर्ग	10 प्रतिशत
कुल	34 प्रतिशत

उपर्युक्त ग्रुप में से किसी ग्रुप में विद्यार्थी उपलब्ध न होने के कारण उस ग्रुप में खाली रहने वाले स्थान अन्य ग्रुपों को मिलने चाहिए, भले ही किसी ग्रुप विशेष में स्थानों की प्रतिशतता उस ग्रुप के लिए निर्धारित प्रतिशतता से अधिक क्यों न हो जाये, किन्तु शर्त यह होगी कि स्थानों की कुल प्रतिशतता पिछड़े वर्गों के लिए नियत कुल स्थानों के 34 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ये स्थान केवल उस स्थिति में आम विद्यार्थियों को मिलने चाहिए, जब इन स्थानों के भरने के लिए उपर्युक्त में

से किसी ग्रुप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध न हों। उपर्युक्त प्रतिशतता में उन विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल होनी चाहिए, जिन्हें योग्यता के आधार पर दाखिला मिलता है, और यह संख्या उसके अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए।

विवादक

(1) क्या मैडिकल कालेजों में दाखिले के लिए आरक्षण की मात्रा नियत करने में राज्य की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, के अनुपात को आधार मान लेना संवैधानिक है?

(2) क्या पिछड़े वर्ग के किसी एक उप-समूह के खाली आरक्षित स्थानों को उप-समूह के स्थानों में शामिल कर लेना वैध है?

उद्धरण

न्यायमूर्ति वैद्य

श्री परांजपे ने याचिका के समर्थन में केवल जिस अन्य आधार पर जोर दिया वह यह था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के लिए राज्य की जनसंख्या में इन समुदायों की संख्या के अनुपात के आधार पर किये गये आरक्षण, जैसा कि श्री मठकर द्वारा दाखिल किये गये शपथ-पत्र में उल्लिखित है, तर्क संगत नही था, और इसके अतिरिक्त जातियों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अवैध था। उन्होंने यह तर्क दिया कि नियम 4(घ) में उल्लिखित व्यवस्था भी, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि किसी भी आरक्षित समूह में, उस समूह में विद्यार्थी उपलब्ध न होने के कारण, खाली रहने वाले आरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अन्य समूहों को मिलने चाहिए, व्यवहार्य और तर्क संगत नहीं है।

हमें इनमें से किसी भी तर्क में कोई सार-तत्व दिखाई नहीं देता। यह सम्भव है कि स्थानों के आरक्षण के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाये, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए पिछली जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात को आधार मानने का जो तरीका अपनाया है, वह अनुचित है। इस विषय पर एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 649 के मुख्य मुकदमें में तत्कालीन न्यायामूर्ति गजेन्द्रगड़कर ने न्यायालय के पक्ष में बोलते हुए और मैसूर सरकार के उस आदेश को जिसके परिणामस्वरूप मैसूर

राज्य की 68 प्रतिशत जसंख्या को पिछड़े वर्गों के रूप में मानकर उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिये गये थे, अनुच्छेद 15(4) के बिल्कुल अनुरूप मानकर रद्द करके हुए निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किये:-

''हमारे देश में जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में भिन्नता है, दृष्टिकोण में पूर्ण रूप से एकरुपता की आशा करना निरर्थक होगा, किन्तु अनुच्छेद 15(4) की नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए राज्यों के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस नीति को कार्यान्वित किया जाना है, वह ऐसी नीति है जो अनुच्छेद 46 और संविधान की भूमिका के अधीन घोषित की गयी है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए हीं अनुच्छेद 15(4) में उल्लिखित समुदायों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्राधिकार दिया गया है, भले हीं ये व्यवस्था ऐसी क्यों न हो, जो अनुच्छेद 15 या 29(2) के अधीन गारन्टीकृत मूल अधिकारी के अनुरूप हो, अतः सन्दर्भ के अनुसार यह अपेक्षित है कि राज्य द्वारा की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई सभी प्रकार के वाह्य प्रभाव के मुक्त तटस्थ दृष्टिकोण पर हीं आधारित होनी चाहिए।

उक्त कार्रवाई सामाजिक तथा आर्थिक न्याय करने के लिए हीं की जानी होती है और यह कार्रवाई ऐसे तरीके से हीं की जानी चाहिए जिसमें सबके साथ न्याय हो और न्याय किया जाये।''

वर्तमान मामले के तथ्यों पर उक्त सिद्धान्त लागू करते हुए हमने यह पाया है कि सरकार ने मेडिकल कालेजों में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों के अनुपात के अवधारण के लिए एक तटस्थ और न्यायपूर्ण परीक्षण विधि अपनाई है। श्री परांजपे ने आगे यह निवेदन किया कि क्योंकि राज्य की बाकी जनसंख्या का शिवाजी और पुणे विश्वविद्यालयों से कोई सम्बन्ध नहीं था, अतः शिवाजी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों के अनुपात का अवधारण करने के लिए पूरे राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में इन समुदायों के अनुपात को आधार बनाना तर्कहीन था। हमें इसमें कोई बात तर्कहीन नहीं लगती। अनुच्छेद 15(4) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की अनुमति दी गयी है और ऐसे आरक्षण के लिए सम्भवतः इससे अच्छा और कोई आधार नहीं है कि राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में पिछड़े वर्गों की जनसख्या के अनुपात को आधार बनाया जाये। राज्य से यह आशा करना पूर्णतया अनुचित होगा कि वह पूरे राज्य में इन दो विश्वविद्यालयों के या इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय के क्षेत्रों के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अलग से जनगणना कराये। श्री परांजपे का यह तर्क कि राज्य की शेष जनसंख्या की इन दो विश्वविद्यालयों के मेडिकल कालेजों में दाखिलों में कोई रुचि नहीं है, नामंजूर करना

आवश्यक है क्योंकि राज्य के सभी भागों के लिए आरक्षण का एक समान नियम अपनाना महाराष्ट्र सरकार के लिए निश्चित रूप से न्यायोचित है, और यदि राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर एक समान नियम अपनाया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं समझते, जो तर्कहीन हो या जिस पर अनुच्छेद 14 या 15 का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

श्री परांजपे ने आगे यह तर्क दिया कि इन समुदायों के लिए आरक्षण की नीति इस तथ्य से भी निष्फल हो जाती है कि वे यदि अन्य विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 45 प्रतिशत अंकों की तुलना में 40 प्रतिशत अंक भी प्राप्त कर लेते हैं, तो वे दाखिले के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं और इससे सरकार पिछड़े वर्गों की उन्नति में सहायता करने की बजाय ऐसी नीति को प्रोत्साहन दे रही थी, जिससे वे दूसरे वर्गों की तुलना में कम प्रगति करें। इस तर्क में उस प्रयोजन की हीं उपेक्षा की गयी है, जिसके लिए अनुच्छेद 15(4) बनाया गया है। पिछड़े वर्गों, जिन्हें इस रूप में मान्यता प्राप्त है, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शताब्दियों से सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है और उनकी स्थिति में जिन तरीकों से सुधार किया जा सकता है, उनमें से एक तरीका यह भी है कि ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्हें अपेक्षाकृत कुछ कम अंक भी प्राप्त हो, मेडिकल कालेजों में दाखिले का पात्र बना दिया जाये, और इसे पिछड़े वर्ग के इन समुदायों की उन्नति के एक उपाय के रूप में ही समझा जाना चाहिए।

इसी प्रकार श्री परांजपे के इस तर्क में कि एक ग्रुप विशेष का है रिक्त स्थानों को पिछड़े वर्ग के ग्रुपों में आगे ले जाना अव्यवहारिक है, कोई सार नहीं है क्योंकि हमारी राय में नियम 4(घ) बहुत व्यावहारिक और न्यायसंगत है और उसे आसानी से लागू किया जा सकता है। हमें इसे लागू करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। उपर्युक्त नियम का उद्धरण ऊपर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि नियम में उल्लिखित चारों ग्रुप नागरिकों के आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अनुच्छेद 15(4) में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो उपर्युक्त वर्गों, जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए राज्य द्वारा की गई विशेष व्यवस्थाओं में बाधक बने। महाराष्ट्र सरकार ने नियम 4(घ) में उल्लिखित चारो ग्रुपों के लिए ऐसी हीं एक विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अनुच्छेद 15(4) के अधीन विशेष तरजीह दी जा सकती है और दी भी जा रही है। उक्त नियम के अन्तर्गत 34 प्रतिशत स्थान सभी चारो ग्रुपों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं और इन्हीं 34 प्रतिशत स्थानों में ही आगे यह विशेष व्यवस्था भी की गई है कि चारो में से किसी एक या अधिक ग्रुपों के लिए आरक्षित स्थानों में से रिक्त स्थानों को उन विद्यार्थियों के लिए अनारक्षित करके भरा जाए तो जो शेष ग्रुपों से सम्बन्धित हैं ये चारों ग्रुप सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए

नागरिकों की हीं कोटि में आते है। उन्हें तरजीह दी जानी चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है कि रिक्त स्थान उन्हीं स्थानों में से भरे जाएं जो उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। चारो ग्रुपों में उप विभाजन करने का स्पष्ट कारण यह है कि आरक्षण उन्हीं चार ग्रुपों में बाँटा जाए जो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की एक कोटी के अन्तर्गत आते हैं ताकि किसी एक ग्रुप के ऐसे विद्यार्थी जो अपेक्षतया अधिक प्रतिभासम्पन्न हैं, दूसरे ग्रुपों के विद्यार्थियों को उनके लाभ से वंचित न कर दें। हमारी राय में यह सब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन अनुमत्य है और अनुच्छेद 46 के अनुकूल है जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि राज्य कमजोर वर्गों की जनता और खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को पूरा करने की दिशा में विशेष ध्यान दे। अतः याची इस आधार पर नियम 4(घ) को चुनौती नहीं दे सकता कि विभिन्न ग्रुपों में से प्रत्येक के लिए स्थान आरक्षित करने के दावे उनमें एक ग्रुप में खाली स्थानों को अन्य ग्रुपों के विद्यार्थियों के लिए खाली घोषित करके विशेष व्यवस्था की गई है या इस आधार पर कि चार में से किसी भी ग्रुप के रिक्त स्थान योग्यता के अनुसार सभी विद्यार्थियों के लिए खाली घोषित करके उन्हें उपर्युक्त ग्रुपों के विद्यार्थियों को फिर से उपलब्ध न कराया जाए।

निर्णय

(1) न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो आरक्षण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए पिछली जनगणना के आधार पर लगाया गया था वैध तथा न्यायसंगत है।

(2) पिछड़े वर्ग के एक उप-ग्रुप के रिक्त आरक्षित स्थानों को इस प्रकार के पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण की मात्रा के अनुसार दूसरे उप-ग्रुप में ले जाने की व्यवस्था को विधिमान्य माना गया।